विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) का वित्तीय प्रदर्शन, एसपीएसई के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की निरीक्षण भूमिका, एसपीएसई में निगमित अभिशासन की स्थिति, एसपीएसई द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन, तथा एसपीएसई द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए एसपीएसई के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम भी इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन की विषय-वस्तु को सात अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

अध्याय-I	:	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन
अध्याय-II	:	सीएजी की निरीक्षण भूमिका
अध्याय-III	:	निगमित अभिशासन
अध्याय-IV	:	भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव
अध्याय-V	:	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
अध्याय-VI	:	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा
अध्याय-VII	:	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-I: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 एसपीएसई थे। इन 113 एसपीएसई में से 86 सरकारी कंपनी, 21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, तथा छः सांविधिक निगम थे। अग्रेतर, 113 एसपीएसई में से 72 क्रियाशील एवं 41 निष्क्रिय (13 समापनाधीन सहित) थे। 72 क्रियाशील एसपीएसई में से चार ने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे; ये एसपीएसई थे - लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.4)

68 क्रियाशील एसपीएसई (चार एसपीएसई को छोड़कर, जिन्होंने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे) में से 39 एसपीएसई ने ₹ 2,169.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जबकि 27 एसपीएसई ने ₹ 32,393.08 करोड़ की हानि वहन की, तथा दो एसपीएसई ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, कोई लाभ या हानि नहीं प्रतिवेदित की थी। शीर्ष पाँच लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद थे, जबकि शीर्ष पाँच हानि वहन करने वाले एसपीएसई उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड थे।

(प्रस्तर 1.4, 1.26 एवं 1.27)

68 क्रियाशील एसपीएसई (चार एसपीएसई को छोड़कर, जिन्होंने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे) का, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, टर्नओवर (₹ 92,696.60 करोड़), वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 22,57,575 करोड़) का 4.10 प्रतिशत था।

(प्रस्तर 1.5)

31 मार्च 2023 को, 72 क्रियाशील एसपीएसई में कुल निवेश ₹ 4,12,768.89 करोड़ (इक्विटी: ₹ 2,82,529.29 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 1,30,239.60 करोड़) था, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने ₹ 1,74,333.04 करोड़ (इक्विटी: ₹ 1,69,318.48 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 5,014.56 करोड़) का योगदान दिया था, जो कुल निवेश का 42 प्रतिशत था।

(प्रस्तर 1.7)

इक्विटी में निवेश करने तथा एसपीएसई को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, उ.प्र. सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में एसपीएसई को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, साथ ही बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एसपीएसई को प्रत्याभूति भी देती है। अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में उ.प्र. सरकार द्वारा एसपीएसई को बजटीय सहायता 2021-22 में ₹ 23,439.82 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 28,318.69 करोड़ हो गई; तथा वर्ष के अंत तक बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धताएं भी 31 मार्च 2022 को ₹ 37,387.30 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹ 46,641.91 करोड़ हो गईं।

(प्रस्तर 1.10)

25 एसपीएसई, जिनके पास अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाया ऋण तथा वित्त लागत थे, में से 13 एसपीएसई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था, जो उनके ब्याज बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त आय को इंगित करता है। यद्यपि, 12 एसपीएसई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था, जो यह इंगित करता है कि ये एसपीएसई अपने ब्याज दायित्वों का भुगतान करने हेतु पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर सके।

(प्रस्तर 1.15)

38 एसपीएसई में से 36 एसपीएसई की कुल परिसम्पत्तियाँ उनके बकाया दीर्घावधि ऋणों से अधिक थीं, जो उनके ऋण बाध्यताओं के सापेक्ष परिसम्पत्तियों की सुदृढ़ स्थिति को इंगित करता है। यद्यपि, दो एसपीएसई, अर्थात्, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड की कुल परिसम्पत्तियाँ बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम थीं।

(प्रस्तर 1.16)

38 एसपीएसई, जिनके पास उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार ऋण दायित्व थे, में से छः एसपीएसई ने अपने ऋण के शोधन में चूक की।

(प्रस्तर 1.17)

वर्ष के अंत में 68 क्रियाशील एसपीएसई (चार एसपीएसई को छोड़कर जिन्होंने अपने प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे) में से 56 एसपीएसई का चालू अनुपात एक से अधिक था, जो यह इंगित करता है कि उनके पास अपने अल्पावधि बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अल्पावधि परिसम्पत्तियाँ थीं। यद्यपि, 12 एसपीएसई का चालू अनुपात एक से कम था, जो यह इंगित करता है कि इन एसपीएसई के पास अपने अल्पावधि बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अल्पावधि परिसम्पत्तियाँ नहीं थीं।

(प्रस्तर 1.19)

धनात्मक शेयरधारक निधि वाले 52 क्रियाशील एसपीएसई में से, 34 एसपीएसई में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) धनात्मक था, 16 एसपीएसई में ऋणात्मक आरओई था, तथा दो एसपीएसई में 'शून्य' आरओई था।

(प्रस्तर 1.21)

68 एसपीएसई के उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार नेट वर्थ के विश्लेषण ने यह इंगित किया कि 16 एसपीएसई के नेट वर्थ का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया था। इन एसपीएसई की समादत्त पूँजी, तथा मुक्त संचय व अधिशेष ₹ 26,891.32 करोड़ था, जबकि संचित हानियाँ एवं आस्थगित राजस्व व्यय ₹ 37,979.25 करोड़ था।

(प्रस्तर 1.22)

59 क्रियाशील एसपीएसई, जिनकी नियोजित पूँजी उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार धनात्मक थी, में से 41 एसपीएसई का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) धनात्मक था, 16 एसपीएसई का आरओसीई ऋणात्मक था, तथा दो एसपीएसई का आरओसीई 'शून्य' था।

(प्रस्तर 1.23)

अध्याय-II: सीएजी की निरीक्षण भूमिका

उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले 113 एसपीएसई में से मात्र 10 एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी को 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत किए थे। अग्रेतर, समापनाधीन दो एसपीएसई ने समापनाधीन जाने की तिथि तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। 30 सितम्बर 2023 को, 62 क्रियाशील एसपीएसई के 324 वार्षिक लेखे, 28 निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) के 603 वार्षिक लेखे, तथा समापनाधीन 11 एसपीएसई के 120 वार्षिक लेखे, एक से 41 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे।

(प्रस्तर 2.3)

सीएजी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 47 एसपीएसई (31 सरकारी कंपनी, 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, तथा चार सांविधिक निगम) के 76 वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया और उन पर टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत किये। एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियों का लाभप्रदता पर ₹ 4,686.28 करोड़ तथा वित्तीय स्थिति पर ₹ 10,375.62 करोड़ का प्रभाव पड़ा। सीएजी ने 22 एसपीएसई के 32 वित्तीय विवरणों में इंड एएस/एएस के अनुपालन न करने के प्रकरणों को भी इंगित किया। इसके अतिरिक्त, सीएजी ने 18 एसपीएसई को 25 'प्रबंधन पत्र' निर्गत किए।

(प्रस्तर 2.5 एवं 2.7 से 2.9)

सांविधिक निगमों को अभिशासित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, उनके लेखाओं पर सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना होता है। छः सांविधिक निगमों में से मात्र दो सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत सभी एसएआर को राज्य विधानमण्डल में रखा था। शेष चार सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत 19 एसएआर (तीन से छः वर्ष की अवधि के लिए) को राज्य विधानमण्डल में नहीं रखा था, जिससे वे सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर पाए।

(प्रस्तर 2.10)

अध्याय-III: निगमित अभिशासन

जिन 32 एसपीएसई के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक था, उन में से 26 एसपीएसई के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, तथा दो एसपीएसई के बोर्ड में मात्र एक स्वतंत्र निदेशक था। छः एसपीएसई, जिनमें स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे, में उनकी, बोर्ड बैठकों में उपस्थिति 50 से 80 प्रतिशत के मध्य थी।

(प्रस्तर 3.6 एवं 3.17)

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 31 एसपीएसई को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक रखना आवश्यक था, में से 16 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक थी, जबकि पाँच एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में वर्ष के कुछ भाग के लिए महिला निदेशक थी, तथा 10 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में पूरे वर्ष कोई महिला निदेशक नहीं थी।

(प्रस्तर 3.7)

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 क्रियाशील एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 35 एसपीएसई ने अपने निदेशक बोर्ड की आवश्यक चार बैठकें आयोजित नहीं कीं। अग्रेतर, पाँच एसपीएसई के प्रकरण में, निदेशक बोर्ड की दो बैठकों की मध्यवर्ती अवधि, 134 से 178 दिनों के मध्य थी, जो 120 दिनों की विहित की गयी समय-सीमा से अधिक थी।

(प्रस्तर 3.8)

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 32 एसपीएसई के पास लेखापरीक्षा समिति का होना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। इन 21 एसपीएसई में से 18 एसपीएसई में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

(प्रस्तर 3.10)

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 32 एसपीएसई के पास नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का होना आवश्यक था, में से 28 एसपीएसई के पास एनआरसी नहीं थी।

(प्रस्तर 3.11)

66 क्रियाशील एसपीएसई में से छः एसपीएसई को सीएसआर समिति गठित करना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी छः एसपीएसई ने इस आवश्यकता का अनुपालन किया। इसके अतिरिक्त, तीन अन्य एसपीएसई ने ऐसा करने हेतु अधिदेशित न होने के बावजूद स्वेच्छा से सीएसआर समिति की स्थापना की।

(प्रस्तर 3.12)

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 36 एसपीएसई को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त करना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किए थे।

(प्रस्तर 3.20)

वर्ष 2022-23 के लिए जिन 38 एसपीएसई को आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था, में से 30 एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किये। इनमें से 28 एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्मों द्वारा की गई, जबकि दो एसपीएसई में यह कार्य उनके सम्बन्धित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा किया गया।

(प्रस्तर 3.22)

अध्याय-IV: भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव

107 एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 26 एसपीएसई ने भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अंगीकृत किया। इन 26 एसपीएसई में से एक एसपीएसई ने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एएस को अंगीकृत किया।

(प्रस्तर 4.3)

पाँच एसपीएसई ने इंड एएस को अनिवार्य रूप से अंगीकृत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया, जिससे न केवल विनियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग के संरेखण में भी बाधा उत्पन्न हुई।

(प्रस्तर 4.6)

जिन 25 एसपीएसई ने इंड एएस को अंगीकृत किया था (एक एसपीएसई को छोड़कर, जिसने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एएस को अंगीकृत किया था), में से 19 एसपीएसई ने अपने प्रथम इंड एएस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में अपेक्षित समाधान विवरण तैयार नहीं किए थे।

(प्रस्तर 4.7)

इंड एएस को अंगीकृत करने वाले 25 एसपीएसई (एक एसपीएसई को छोड़कर जिसने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एएस को अंगीकृत किया था) के कर पश्चात् लाभ, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ पर इंड एएस को अंगीकृत करने का प्रभाव निम्नानुसार था:

- 15 एसपीएसई के कर पश्चात् लाभ (पीएटी) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 10 एसपीएसई में पीएटी पर कुल ₹ 162.58 करोड़ का शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 132.03 करोड़ से ₹ 244.23 करोड़ के मध्य था।

- 19 एसपीएसई के परिचालन से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई में कुल (-) ₹ 35.70 करोड़ का शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 40.07 करोड़ से ₹ 3.30 करोड़ के मध्य था।
- 19 एसपीएसई के कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई की कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में कुल ₹ 1,879.31 करोड़ का शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 1,064.12 करोड़ से ₹ 8.55 करोड़ के मध्य था।
- 14 एसपीएसई के नेट वर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 11 एसपीएसई में से 10 के नेट वर्थ में ₹ 244.33 करोड़ की कमी आई, जबकि एक एसपीएसई के नेट वर्थ में ₹ 150.85 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जो (-) ₹ 93.48 करोड़ के कुल शुद्ध प्रभाव को इंगित करता है।

(प्रस्तर 4.8)

अध्याय-V: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

66 क्रियाशील एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से नौ एसपीएसई आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 8.75 करोड़ व्यय करने हेतु अधिदेशित थे। इन नौ एसपीएसई में से तीन एसपीएसई ने न्यूनतम ₹ 4.14 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.44 करोड़ की धनराशि आवंटित एवं व्यय की। शेष छः एसपीएसई ने सीएसआर कार्यकलापों पर आवश्यक ₹ 4.61 करोड़ की धनराशि के विरुद्ध न तो कोई धनराशि आवंटित की और न ही व्यय की।

(प्रस्तर 5.3)

अधिकांश एसपीएसई ने सीएसआर समितियाँ बनाने तथा सीएसआर नीतियाँ विरचित करने की अपनी मूल बाध्यता को पूर्ण किया, तथापि सीएसआर अभिशासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कमियाँ पाई गईं। जिन चार एसपीएसई को वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार करना आवश्यक था में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। सीएसआर समिति की बैठकें अनियमित थीं, तथा सीएसआर से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहा।

(प्रस्तर 5.5 से 5.7, 5.14 एवं 5.15)

अध्याय-VI: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गयी थी कि क्या इसके पास एक प्रभावी एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली थी; क्या इसने अपने परिचालनों का नियोजन एवं निष्पादन मितव्ययिता के साथ, कुशलतापूर्वक, तथा प्रभावी ढंग से कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप तथा विहित की गयी प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुसार किया था; तथा क्या इसने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र बनाये रखे थे।

(प्रस्तर 6.5)

कंपनी, जिसे 1 मई 1975 को सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने के उद्देश्य से एक राज्य-स्वामित्व वाले निर्माण उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था, का प्रबंधन 10 सदस्यों वाले निदेशक बोर्ड (बीओडी) द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कुल स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष कार्यरत कार्मिक 53 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थे।

(प्रस्तर 6.1 से 6.3)

वित्तीय प्रबंधन

कंपनी के लिए निधियों का मुख्य स्रोत डिपाजिट कार्यों के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त धनराशि है। कंपनी ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के कार्य, समुचित बजट के अभाव में किए, जिससे प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण करने तथा बजटीय नियंत्रण का प्रयोग करने की कंपनी की क्षमता प्रभावित हुई।

(प्रस्तर 6.11.1 एवं 6.11.2)

कंपनी ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान पूर्ण किए गए 1,003 कार्यों में से 99 कार्यों के प्रकरण में, प्राप्त निधियों से ₹ 65.80 करोड़ अधिक व्यय किया। अग्रेतर, इसी अवधि के दौरान, कंपनी ने 33 पूर्ण हो चुके डिपाजिट कार्यों के लेखे बंद किए। इनमें से 22 कार्यों के प्रकरण में कंपनी ने उ.प्र. सरकार के सम्बन्धित विभागों को ₹ 1.65 करोड़ की अव्ययित धनराशि वापस नहीं की।

(प्रस्तर 6.11.3 एवं 6.11.4)

उ.प्र. सरकार ने विभागों तथा एसपीएसई को निर्देशित (मई 2015) किया था कि वे उसके द्वारा अवमुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा करें। तथापि, कंपनी ने सरकार द्वारा अवमुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज ₹ 641.45 करोड़ की धनराशि को कोषागार में जमा नहीं किया था। अग्रेतर, कंपनी ने संविदाकारों से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रूप में वसूली गयी ₹ 7.47 करोड़ की धनराशि को आवश्यकतानुसार सरकारी खाते में क्रेडिट करने तथा कोषागार में जमा करने के स्थान पर, इसे अपनी आय के रूप में माना।

(प्रस्तर 6.11.5 एवं 6.11.6)

परिचालन नियोजन

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, कंपनी ने नामांकन आधार पर ₹ 7,550.91 करोड़ मूल्य के 1,192 कॉस्ट प्लस सेंटेज/डिपाजिट कार्य प्राप्त किए, तथा निविदाओं के माध्यम से क्रमशः ₹ 2,814.04 करोड़ एवं ₹ 1,953.06 करोड़ मूल्य के 24 निर्माण एवं 57 परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) कार्य प्राप्त किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी को सौंपे गए डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्यों की संख्या 2018-19 में 209 से बढ़कर

2022-23 में 275 हो गई, तथापि स्वीकृत लागत 2018-19 में ₹ 2,956 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 777.93 करोड़ हो गई, जो यह इंगित करता है कि कंपनी को निम्न टिकट आकार के कार्य सौंपे जा रहे थे। विशेषतः, उ.प्र. सरकार ने दिसम्बर 2019 में ₹ 50 करोड़ से अधिक के डिपाजिट कार्यों को नामांकन आधार पर कंपनी को प्रदान करने का निर्णय वापस ले लिया था।

(प्रस्तर 6.12.1)

विस्तृत परीक्षण की गई 14 अयोग्य निविदाओं में से, सात प्रकरणों में कंपनी अपर्याप्त दस्तावेज जमा करने के कारण अयोग्य की गयी तथा अन्य सात निविदाओं में ग्राहक ने कंपनी को अधीनस्थ न्यायालय की अवसरंचना समिति द्वारा ब्लैकलिस्ट किये जाने के कारण अयोग्य किया। कंपनी छः अस्वीकृत निविदाओं, जिनका कुल मूल्य ₹ 1,354.11 करोड़ था, में न्यूनतम बिडर थी।

(प्रस्तर 6.12.2)

₹ 3,939.08 करोड़ मूल्य के 57 डिपाजिट/कॉस्ट प्लस सेंटेज कार्यों के विस्तृत परीक्षण ने यह इंगित किया कि कंपनी ने ₹ 2,058.35 करोड़ मूल्य के 34 कार्यों को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व प्रारम्भ कर दिया था। अग्रेतर, कंपनी ने पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किये बिना 12 कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था।

(प्रस्तर 6.12.4 एवं 6.12.5)

परिचालनों का निष्पादन

इकाई प्रभारियों ने कंपनी की स्थापित प्रक्रियाओं से विचलन में, प्रबंध निदेशक से अपेक्षित प्राधिकार प्राप्त किए बिना तथा निदेशक बोर्ड को सूचित किए बिना, पाँच कार्यों में, कार्य की पूर्ण मदों के लिए कुल ₹ 1,047.67 करोड़ के 52 कार्य आदेश निर्गत किए। इसके अतिरिक्त, सभी 52 कार्य आदेश इकाई प्रभारियों द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित करने के स्थान पर, सूचीबद्ध संविदाकारों से कोटेशन आमंत्रित करने के पश्चात् निर्गत किए गए थे।

(प्रस्तर 6.13.2)

कंपनी ने तीन कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तीन उप-संविदाकारों को ₹ 20.40 करोड़ के अग्रिम बिना किसी बैंक गारंटी/प्रतिभूति के अवमुक्त किए। अग्रेतर, कंपनी ने सामग्रियों पर ग्रहणाधिकार सुरक्षित करने हेतु औपचारिक समझौता निष्पादित किये बिना, आपूर्तित सामग्रियों के विरुद्ध छः उप-संविदाकारों को ₹ 18.47 करोड़ के अग्रिम भी अवमुक्त किए, तथा नहीं मापे गये कार्यों के विरुद्ध 14 उप-संविदाकारों को ₹ 245.71 करोड़ के अग्रिम, कार्य के परिमाणीकरण के बिना तथा कंपनी के अभियन्ता से प्रमाणन के बिना अवमुक्त किए।

(प्रस्तर 6.13.4)

कंपनी ने तीन कार्यों में उप-संविदाकारों से ₹ 4.97 करोड़ की मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की धनराशि की कम वसूली की। अग्रेतर, कंपनी ने संविदाकारों के बीजकों से ₹ 2.03 करोड़ की कर्मकार कल्याण उपकर की धनराशि की कटौती नहीं की।

(प्रस्तर 6.13.5 एवं 6.13.7)

कंपनी ने अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में, संविदाकार के बीजकों से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को किए गए ₹ 2.81 करोड़ के भुगतान की कटौती नहीं की।

(प्रस्तर 6.13.8)

उत्खनन (ब्लास्टिंग के बिना कठोर चट्टान) का कार्य उच्च दरों पर देने के कारण, कंपनी ने ₹ 89.21 लाख का अधिक व्यय किया। इसके अतिरिक्त, सेंटरिंग तथा शटरिंग की लागत, जो पहले से ही रिइनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट की मदों में समाहित थी, हेतु अनियमित भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹ 1.83 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 6.13.9)

कंपनी ने, मात्रा/अवधि के संदर्भ में निष्पादित किए जाने वाले कार्य की अनुमानित मात्रा के सम्बन्ध में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से औपचारिक लिखित अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹ 12.86 करोड़ मूल्य का जल-निकासी कार्य निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका दावा अवरुद्ध हो गया।

(प्रस्तर 6.13.11)

कंपनी ने प्रशासनिक विभाग को सूचित किए बिना कार्य की विद्यमान मदों की मात्रा में वृद्धि की तथा कार्य की नई मदों को सम्मिलित किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय वित्त समिति द्वारा ₹ 9.42 करोड़ की धनराशि का सेंटेज देने से मना कर दिया गया।

(प्रस्तर 6.13.12)

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

कंपनी के वितीय विवरण सात वर्षों (2016-17 से 2022-23) से बकाया थे, तथा 2000-01 से वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष नहीं रखे गये थे।

(प्रस्तर 6.14.1 एवं 6.14.2)

अंतर-इकाई लेनदेन के मद में ₹ 316.87 करोड़ का उल्लेखनीय असमाधानित डेबिट शेष था। अग्रेतर, ग्राहकों द्वारा स्रोत पर काटे गए ₹ 176.83 करोड़ के यूपीवैट के लिए कंपनी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 6.14.3 एवं 6.14.4)

कंपनी के निदेशक बोर्ड में वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसके अतिरिक्त, उसने लेखापरीक्षा समिति अथवा नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया था।

(प्रस्तर 6.14.5 एवं 6.14.6)

कंपनी को 137 डिपाजिट कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के कारण ₹ 165.72 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। अग्रेतर, सात कार्यों के प्रकरण में, कार्य के वास्तविक निष्पादन के बिना ₹ 31.72 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

(प्रस्तर 6.14.10 एवं 6.14.11)

संस्तुतियाँ

- **कंपनी बिड प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, ऐसे प्रपत्र जिनकी आवश्यकता बार-बार पड़ती है, का एक केंद्रीकृत संग्रह बनाए रख सकती है तथा सभी निविदाओं के लिए एक कठोर आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया स्थापित कर सकती है।**
- **कंपनी ब्लैकलिस्ट किए जाने के विषय को सुलझाने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना विकसित तथा कार्यान्वित कर सकती है।**
- **कंपनी ग्राहक से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन कर सकती है।**
- **कंपनी सात वर्षों के वित्तीय विवरणों (2016-17 से 2022-23) के बकाये को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार कर सकती है। अग्रेतर, कंपनी लेखाओं की समय पर तैयारी, लेखापरीक्षा, तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों के अंगीकरण के निरीक्षण हेतु एक वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित कर सकती है।**
- **कंपनी व्यापक समाधान प्रक्रियाओं के माध्यम से ₹ 316.87 करोड़ के शुद्ध डेबिट शेष की जाँच तथा समाधान को प्राथमिकता दे सकती है।**

अध्याय-VII: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

जनवरी 2021 में, **डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड** (कंपनी) ने, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट सिटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी घटकों की आपूर्ति, कार्यान्वयन, एकीकरण, संचालन, तथा रखरखाव हेतु ₹ 70.87 करोड़ मूल्य का अनुबंध एल-1 कंसोर्टियम को प्रदान किया। हालांकि, जून 2021 में यह पता चलने पर कि कंसोर्टियम ने अपने प्रस्तुत शपथ पत्र में मिथ्या प्रस्तुति की है, कंपनी ने कार्य को निरस्त कर दिया, तथा अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) के विरुद्ध जमा की गई ₹ दो करोड़ की बैंक गारंटी वापस कर दी (अगस्त 2021)। लेखापरीक्षा ने

पाया कि तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति के कारण अनुबंध निरस्त होने की स्थिति में ईएमडी की वापसी, निविदा दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन था।

(प्रस्तर 7.1)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित नहीं की, जिसके कारण निविदा निरस्त करनी पड़ी। आगामी निविदा प्रक्रिया में, निगम को प्रथम निविदा के सापेक्ष निविदाएँ प्राप्त नहीं हुईं, और अंततः उसे कम दरों पर अनुबंध प्रदान करना पड़ा। इससे निगम को ₹ 2.15 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 7.2)